भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1328

जिसका उत्तर दिनांक 09.02.2022 को दिया जाना है

जैतापुर में परमाणु रिएक्टरों की स्थापना

1328. श्री के. षणमुग सुंदरम :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास जैतापुर में एक फ्रांसीसी कंपनी के माध्यम से छह परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वियना कन्वेन्शन ऑफ सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डेमेज (सीएनएलडी) के प्रावधान फ्रांसीसी कंपनी के साथ जैतापुर संयंत्र के लिए एक बाध्यकारी अनुबंध हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार के पास वर्ष 2010 में पारित सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज (सीएनएलडी) अधिनियम के प्रावधानों को महत्वहीन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या कन्वेन्शन ऑन सपलीमेंटरी कंपेनसेशन फॉर न्यूक्लियर डेमेज (सीएनएलडी) का अनुसमर्थन सीएनएलडी अधिनियम के प्रावधानों को अधिक्रमित करेंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) जी, हां ।

(ख) सरकार ने फ्रांस के साथ तकनीकी सहयोग से 1650 मेगावाट के छह नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र के जैतापुर में साइट की 'सैद्धांतिक' मंजूरी दे दी है ।

(ग) भारत नाभिकीय देयता दायित्व पर वियना कन्वेंशन (वीसी) का पक्षकार नहीं है और इसलिए वीसी के प्रावधान भारत में किसी भी नाभिकीय सुविधा पर लागू/बाध्यकारी नहीं हैं ।

(घ) उपरोक्त (ग) के अनुसार लागू नहीं है ।

(ङ) उपरोक्त (ग) के अनुसार लागू नहीं है ।

(च) भारत ने वर्ष 2016 में पूरक क्षतिपूर्ति पर कन्वेंशन (सीएससी) की पुष्टि की है । कोई भी देश जो पेरिस कन्वेंशन / वियना कन्वेंशन का पक्षकार है या नाभिकीय देयता पर एक राष्ट्रीय कानून है जो सीएससी के अनुबंध के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें शामिल हो सकता है और पुष्टि कर सकता है । भारत का सीएलएनडी अधिनियम 2010 सीएससी के अनुबंध के अनुरूप है । भारत सीएससी में शामिल होकर, नाभिकीय घटना के मामले में सीएससी से संपर्क करने वाले पक्षकारों के अंतरराष्ट्रीय पूल से क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है, जो सीएलएनडी अधिनियम की अधिकतम क्षतिपूर्ति सीमा 300 मिलियन एसडीआर (विशेष आहरण अधिकार) से अधिक है ।

* * * * *